कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा

जिला–कोरबा(छ.ग.)

क्रमांक / 4298 / कोचिंग / 2016–17 कोरबा, दिनांक 8/10/2016

—:: विज्ञापन ::—

जिला प्रशासन कोरबा द्वारा जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं (गणित एवं विज्ञान संकाय) के छात्र–छात्राओं हेतु पाठ्यक्रम अध्ययन सह विशेष कोचिंग (NEET/CPMT/PMT/IIT/PET/NIT) का संचालन किया जना है।

रूचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत भाग लेने हेतु पंजीकृत कोचिंग संस्थान से आवेदन / निविदा आमन्त्रित की जाती है :–

01.	आवेदन प्राप्ति की तिथि	–	15 अक्टूबर 2016 से
02.	जमा करने की अंतिम तिथि	–	22 अक्टूबर 2016 सायं 4:00 बजे तक
04.	निविदा खोलने की तिथि	–	22 अक्टूबर 2016 सायं 4:00 बजे
05.	संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण	–	22 अक्टूबर 2016 सायं 5:00 बजे तक
06.	निविदा प्राप्ति का स्थान	–	कार्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा में कार्यालयीन अवधि में आवेदन 500 रू शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा का विस्तृत नियम एवं शर्ते जिला प्रशासन कोरबा के वेबसाइड korba.gov.in से देखी जा सकती है अथवा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 8/10/16

जिला शिक्षा अधिकारी

कोरबा (छ.ग)

//रूचि की अभिव्यक्ति//

(अजा, अजजा, बीपीएल छात्र–छात्राओं हेतु अध्ययन सह विशेष कोचिंग संचालन)

जिला प्रशासन कोरबा द्वारा जिला मुख्यालय में जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल वर्ग के हाई स्कूल उत्तीर्ण कक्षा 11वीं एवं 12वीं में गणित एवं विज्ञान विषय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को मैट्रिकोत्तर (10+2) शिक्षा एवं मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यथा आईआईटी, प्री–इंजीनियरिंग टेस्ट, एनआईटी एवं प्री–मेडिकल टेस्ट परीक्षा आदि का परिणाम मूलक तैयारी कराने हेतु कोचिंग संस्था के चयन हेतु निम्नानुसार रूचि की अभिव्यक्ति जारी की जाती है :–

1. प्रस्तावना :–

कोरबा जिले के प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) शिक्षा एवं मेडिकल/इंजीनियरिंग संस्थाओं से प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं यथा आईआईटी, एनआईटी इंजीनियरिंग टेस्ट, सीजी पीएमटी संस्थानों में प्रवेश हेतु सफलता प्राप्त करने हेतु गुणवत्ता पूर्ण कोचिंग प्रदान करना, जिससे कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राये इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कैरियर का निर्माण कर उज्जवल भविष्य बना सके।

2. योजना का लक्ष्य समूह :–

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल वर्ग के हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण गणित एवं विज्ञान विषय लेकर शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को उत्कृष्ट एवं बेहतर शिक्षा प्रदान करते हुए मेडिकल/इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रवेश दिलाना है। इस हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला मुख्यालय में एक आवासीय कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत् प्रथम वर्ष कक्षा 11वीं के 50 एवं कक्षा 12वीं के 50 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना का लक्ष्य परिणामोन्मुखी (Outcome oriented) है, अतः Result Oriented Quality Teaching को प्राथमिकता दी जावेगी।

3. रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हता का निर्धारण :–

1. कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/एल.एल.पी.एक्ट 2008/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत् पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीकरण गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
2. संस्था का पेन (PAN) नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए।
3. विगत् वर्ष में संस्था का औसत टर्न ओव्हर 25.00 लाख से कम नही होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत् वर्ष (2015–16) का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) आवेदन पत्र के भाग 1 में प्रस्तुत करना होगा।

4. तकनीकी प्रस्ताव :–

कोचिंग संस्था द्वारा अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पी.ई.टी./पी.एम.टी./एनआईटी./आईआईटी की कोचिंग का अनुभव तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षावार/वर्षवार सफलता का विवरण भी देवें, साथ ही संस्था के पास उपलब्ध संसाधनों का भी विवरण देवें।

5. वित्तीय प्रस्ताव :–

चूंकि बच्चों के आवास एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। अतः संस्थान द्वारा इसमें प्रति विद्यार्थी प्रति माह ली जाने वाली आवश्यक राशि (स्टडी मटेरियल सहित) का ही उल्लेख करेंगे।

6. प्रस्तुतीकरण :–

संस्था द्वारा समिति के समक्ष कम से कम 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण देना होगा, जिसमें संस्था द्वारा फेकल्टी एवं उपलब्ध संसाधन द्वारा अध्ययन एवं मूल्यांकन के तरीके के संबंध में बताया जायेगा।

7. इम्पैनल्ड कोचिंग संस्था को कार्य आबंटन एवं अनुबंध :–

रूचि की अभिव्यक्ति में चयनित कोचिंग संस्था को अधिकांश दो वर्ष के लिये इम्पैनल्ड किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाये जानेपर अगले वर्षो में नवीनीकरण विचार किया जा सकेगा। चयनित संस्था द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अमानत राशि राजसात करते हुये शेष संस्थाओं में से वरियता क्रमानुसार अन्य संस्था को कार्यादेश दिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार चयनित संस्था को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

8. रूचि की अभिव्यक्ति आवेदन करने की प्रकिया :–

A. कंडिका (3) में उल्लेखित अर्हता पर खोला जायेगा, अतः इससे संबंधित अभिलेखों तथा सुरक्षा निधि को प्रथम बंद लिफाफे में रखा जाए, जिस पर अनिवार्य अर्हता संबंधी अभिलेख लिखा जाए।

B. द्वितीय लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव संबंधी अभिलेख जो कंडिका 4 में उल्लेखित है, के अनुसार प्रत्येंक पृष्ट पर संचालक के हस्ताक्षर एवं सील सहित होना चाहिये।

C. तृतीय लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव होगा। तीनों सील बंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर सील बंद कर विज्ञापन में दर्शाये गये पते पर जमा करना होगा।

9. संस्था के चयन हेतु चयन समिति :–

निविदा हेतु अन्य मानक तय करने/अधिभार में परिर्वतन के लिए कलेक्टर कोरबा प्राधिकृत अधिकारी होंगे। संस्था चयन हेतु समिति निम्नानुसार होगी :–

1.	कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
3.	डिप्टी कलेक्टर	–	सदस्य
4.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	–	सदस्य
5.	जिला रोजगार अधिकारी	–	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	–	सचिव
7.	सहा.जिला परि.अधि.रा.मा.शि.मिशन कोरबा	–	सदस्य

10. चयन प्रकिया :–

चयन प्रकिया कमांक 09 में उल्लेखित समिति द्वारा किया जायेगा।
कमांक 04 में उल्लेखित तकनीकी प्रस्ताव पर 50 प्रतिशत अंक
कमांक 06 में उल्लेखित प्रस्तुतीकरण पर 25 प्रतिशत अंक
कमांक 05 में उल्लेखित वित्तीय प्रस्ताव पर 25 प्रतिशत अंक निर्धारित होगा।

11. <u>चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व</u> :–

1. कोचिंग सेंटर हेतु नियुक्त शिक्षक की योग्यता :– संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना आवश्यक है।
2. शिक्षक संबंधित संस्था में कम से कम 01 वर्ष से कार्यरत हो, इस हेतु संस्था को सैलेरी एकाउन्ट का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3. कोचिंग केन्द्र हेतु नियोजित शिक्षक इस केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के पूर्व उन्हें अनुमति लेना आवश्यक होगा।
4. चयनित/नियुक्त शिक्षक को कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बदला जा सकेगा।
5. चयनित शिक्षकों द्वारा प्रभावी/गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर कलेक्टर के निर्देश पर योग्य शिक्षक की पूर्ति 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा।
6. समस्त आवश्यक अधोसंरचना अनुबंध अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
7. अनुबंध होने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन प्रारंभ करना होगा।
8. प्रवेशित छात्र–छात्राओं का अनुबंध अनुसार टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन भी करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर छात्र–छात्राओं के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्राधिकृत अधिकार द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। टेस्ट एवं मूल्यांकन हेतु आवश्यक स्टेशनरी संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराना होगा।
9. संस्था को अध्यापन के लिए सभी विषयों हेतु पृथक्–पृथक् विषय विशेषज्ञ रखना होगा।
10. शाला/कोचिंग अवधि पश्चात् रेमेडियल क्लासेस (उपचारात्मक शिक्षण) हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से संस्था में उपस्थित रहेंगे।
11. प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET/CPMT/PMT/IIT/PET/NIT) इत्यादि का फार्म भरवाना, काउंसलिंग कराना तथा छात्राओं को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग प्रदान कराना। यह कोचिंग संस्था का दायित्व होगा।
12. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संस्थान का समय–समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय में निरीक्षण पंजी रखना होगा। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिक्षण/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मागे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबंध होने के तत्काल पश्चात् कोचिंग प्रारंभ कराना होगा तथा अनुबंध के अनुसार समस्त आवश्यक सामग्री विद्यार्थियो को उपलब्ध कराना होगा।
14. विषय विशेषज्ञ/शिक्षकों को संस्था में न्यूनतम 08 घंटे उपस्थित रहना होगा।
15. प्रशिक्षण अवधि में विद्यालय में शिक्षकीय अमले की उपस्थिति सुनिश्चित् करने के लिए अनुबंधित संस्था द्वारा पंजी का संधारण किया जाए। जिसका अवलोकन प्राधिकृत अधिकारी को कराया जाएगा।

16. संस्था द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं यथा NEET/CPMT/PMT/IIT/PET/NIT इत्यादि से संबंधित पुस्तकें गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल विगत् वर्षो के प्रश्न–पत्र, रिफ्रेन्स बुक्स, नोटबुक, इत्यादि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार कोचिंग में प्रयुक्त होने वाली मल्टी मीडिया सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा।
17. प्रयोगशाला का कार्य, कोचिंग तथा बोर्ड पाठ्यक्रम अध्यापन हेतु अनुभवी/योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करानी होगी। कोचिंग केन्द्र में चयनित/प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राएं सुदूर क्षेत्रों से होने के कारण उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अतः इनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराकर छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर उन्हें बेहतर स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की जरूरत है।
18. अतः अध्यापन तथा कोचिंग कार्य इस प्रकार करना होगा ताकि योजना का लक्ष्य परिणामोन्खी (Outcome Oriented) हो सके। इस हेतु विषयवस्तु के आधारभूत ज्ञान को समझाते हुए क्वालिटी टीचिंग (गुणवत्तापूर्ण शिक्षण)/प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर विशेष ध्यान देना होगा।
19. संस्था को आवश्यकतानुसार एक कैरियर काउंसलर/मनोवैज्ञानिक उपलब्ध कराना होगा।

12. <u>सुरक्षा निधि</u> :–

चयनित संस्था द्वारा 3.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर (दो वर्षो की अवधि हेतु) बनाकर आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर कलेक्टर कोरबा के पक्ष में देय होगा। उन्हें बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर अनुबंध अवधि समाप्त होने पर विमुक्त योग्य होगा।

13. <u>योजना का संचालन</u> :–

कोचिंग/शिक्षण कार्यक्रम तथा संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन कलेक्टर कोरबा एवं उनके अधीनस्थ जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं बोर्ड पाठ्यक्रम का अध्यापन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों की योग्यता रखने वाले अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार कोचिंग करने वाले शिक्षकों की योग्यता एवं उनके द्वारा इस क्षेत्र में अर्जित की गई सफलता को प्राथमिकता दी जाएगी। 10+2 पाठ्यक्रम के लिए एवं प्रशिक्षण (कोचिंग) के लिए अलग–अलग शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। कोचिंग/शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा अन्य नियमों के कियान्वयन की दायित्व कलेक्टर कोरबा तथा इनके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय/समिति द्वारा किया जावेगा।

14. अन्य सामान्य शर्तो का विवरण :–

1. एक कक्षा में समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर ही अध्यापन कार्य कराया जावेगा। समिति द्वारा चयनित छात्र–छात्राओं के अलावा अन्य को अध्ययन हेतु अनुमति नहीं होगी।
2. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षकों के मानदेय का भुगतान कोचिंग संस्था द्वारा नियमित रूप से किया जाकर इस कार्यालय को लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा तथा किसी प्रकार की शिकायत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि वेतन के अभाव में शिक्षकों द्वारा सत्र के मध्य में अध्यापन कार्य छोड़ने से छात्रों की हानि न हो।

3. संस्था का समय–समय पर लिए जाने वाले सतत् मूल्यांकन में छात्राओं के प्रदर्शन के अधार पर ही देय राशि की किश्तों का भुगतान किया जायेगा। किश्त का भुगतान करते समय शिक्षण/कोचिंग की गुणवत्ता छात्राओं के परफार्मेस को भी ध्यान में रखा जाएगा।
4. छात्राओं के परफार्मेस का मूल्यांकन प्रति छः माह में मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जावेगा। परफार्मेस का आधार सप्ताहिक/मासिक टेस्ट होगा। मानिटरिंग समिति द्वारा आवश्यकतानुसार तृतीय पक्ष के माध्यम से भी छात्राओं के परफार्मेस का मूल्यांकन किया जा सकेगा। परफार्मेस में संतोषजनक बेहतरी नही पाये जाने पर मानिटरिंग समिति को कलेक्टर कोरबा की अनुमति से भुगतान कियेजाने वाली राशि में से पेनाल्टी के रूप में 10–15 प्रतिशत राशि की कटौती करने का अधिकार होगा।

15. छात्राओं के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता तथा चयन प्रकिया :–

15.1 पात्रता –

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल वर्ग के छात्र–छात्राएं होंगे।

एवं

(ख) कक्षा 10वीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हो।

एवं

(ग) कोरबा जिले के किसी भी शासकीय/अशासकीय स्कूल में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत् हो।

15.2 छात्र–छात्राओं का चयन :–

छात्र–छात्राओं के चयन हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा में निर्धारित पात्रता रखने वाले छात्र–छात्राओं से सीधे आवेदन प्राप्त किया जावेगा, इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों में सूची प्राप्त की जावेगी। चयन प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा की जावेगी। चयन उपरान्त आवासीय कोचिंग केन्द्र में प्रवेशित छात्र–छात्राओं को आवास तथा भोजन जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

16. संस्था के संचालन हेतु मानिटरिंग समिति :–

उक्त संस्था के सुचारू संचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिनमें निम्नानुसार सदस्य होगे :–

(1)	डिप्टी कलेक्टर	–	सदस्य
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत		सदस्य
(3)	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	–	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
(5)	सहा.जिला परि.अधि.रा.मा.शि.मि.	–	सदस्य

17. **वित्त पोषण एवं बजट** :–

1. योजना कियान्वयन पर होने वाले व्यय का भुगतान डी.एम.एफ./सी.एस.आर.निधि से किया जावेगा।
2. योजना अंतर्गत चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को प्रति छात्रा के मान से 10+2 के अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग हेतु शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। शिक्षण शुल्क का भुगतान विभिन्न किश्तों में किया जाएगा।

18. **अनुबंधित कोचिंग संस्था को शुल्क का भुगतान** :–

1. **राशि का भुगतान** :–

(अ) चयनित कोचिंग संस्था को अनुबंध के अन्तर्गत स्वीकृत निश्चित राशि का भुगतान प्रत्येक तीन माह में 25 प्रतिशत किया जायेगा।

(ब) अंतिम किस्त का भुगतान हायर सेकेण्डरी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अथवा इंजीनियरिंग/नीट/मेडिकल परीक्षा में छ0ग0 में प्रवेश के समतुल्य रैंक प्राप्त करने पर आनुपतिक रूप से भुगतान किया जायेगा।

संस्था चयन प्रकिया के दौरान विवाद अथवा विवाद की स्थिति निर्मित होने पर कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। लोकहित में ऊपर वर्णित किसी भी शर्त में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

कोचिंग संस्था हेतु आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय– **पीईटी, एनआईटी, आईआईटी, नीट, सीपीएमटी एवं पीएमटी कोचिंग हेतु आवेदन।**

01. संस्था का नाम : ....

02. कार्यालय का पता : ....

03. संस्था प्रमुख का नाम एवं मो.नं. : ....

04. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : ....

05. संस्था का नाम जहां से पंजीकृत है : ....

06. पेन नम्बर : ....

07. संस्था का टर्न ओवर (वर्ष 2015–16) : ....

08. आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2015–16) संलग्न है/नहीं : ....

09. उपलब्ध संसाधन :–

01

क्रमांक	**छात्रों को दी जाने वाली रिफरेंस बुक/स्टडी मटेरियल का नाम**
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

02.

क्रमांक	छात्रों को दी जाने वाली रिफरेंस बुक/स्टडी मटेरियल का नाम
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

10. फेकेल्टी :–

क्रमांक	विषय का नाम	शिक्षक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	कोचिंग का अनुभव (वर्षों में)	मोबाइल नं
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

11. कोचिंग का अनुभव एवं सफलता :– : ....
: ....
: ....
: ....
: ....

12. सुरक्षा निधि : ....

13. लिफाफा :– A संलग्न है/नहीं
B संलग्न है/नहीं
C संलग्न है/नहीं

टीपः– उपरोक्तानुसार उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अभिलेख भी संलग्न करें।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर